130

संख्या-1640/एक-10-2023-33(221)/2011

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
गोमती नगर, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः *29/11/2023*

विषयः- आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं के नेतृत्व एवं व्यापक सहभागिता के केन्द्रीकरण पर महिला स्वयं सहायता समूहों की आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भूमिका विषय पर मण्डल स्तरीय परीक्षण कार्यक्रम कराये जाने हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पत्र संख्या-690/रा.आ.प्र.प्रा/2023-24 दिनांक 25.10.2023 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं के नेतृत्व एवं व्यापक सहभागिता के केन्द्रीकरण पर महिला स्वयं सहायता समूहों की आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भूमिका विषय पर अवशेष 13 मण्डलों में एक दिवसीय मण्डल स्तरीय परीक्षण कार्यक्रम कराये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से "कैपेसिटी बिल्डिंग मद" से रू0 58,50,000/- (रू0 अट्ठावन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1. जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
2. राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित किये जाने में मितव्यता का अनुपालन किया जायेगा।
4. राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के

समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

5. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
6. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
7. प्रश्नगत कार्यक्रम/प्रशिक्षण के क्रियान्वयन हेतु स्वयं किसी विशेषज्ञ संस्था का पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर ई-टेन्डरिंग के माध्यम से चयन किया जाये।
8. प्रशिक्षण निर्धारित माड्यूल के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा और प्रशिक्षण की उपयोगिता का फीड बैक लेतु हुए शासन को अवगत भी कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 58,50,000/-(रू0 अट्ठावन लाख पचास हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-051 लेखाशीर्षक 2245-05-800-06-11 स टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally Signed by राम केवल
Date: 29-11-2023 12:20:50
Reason: Approved

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या-1640(1)/एक-10-2023-33(221)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ0प्र0।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, शास्त्री भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
4. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-06/12/2023

प्रेषण संख्या:- 1640
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1640
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	5850000 200334670	5850000 200334670
	योग	वर्तमान प्रगामी	5850000 200334670	5850000 200334670

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अट्ठावन लाख पचास हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बीस करोड़ तीन लाख चौंतीस हजार छः सौ सत्तर

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन